

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं० :- 05/स्था० 95/2010(खंड),/ पटना, दिनांक

जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 38 दिनांक 04.03.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो० कामिल अख्तर, वरीय उप समाहर्ता, समाहरणालय, शेखपुरा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 213 (1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 24.02.2014 के प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी शेखपुरा के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/04/2014

ज्ञाप संख्या 2275...../

प्रतिलिपि अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) पटना/जिला पदाधिकारी शेखपुरा/संयुक्त आयुक्त -सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर/मो० कामिल अख्तर, वरीय उप समाहर्ता, समाहरणालय, शेखपुरा/मोटरयान निरीक्षक, शेखपुरा/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग एवं स्थापना शाखा परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

a. s. s.
15/4/14
प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।